

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर




आदेश

क्रमांक बी/1117 /
तीन-18-180-75 (रतलाम)

जबलपुर, दि० 13 फरवरी, 2019

श्रीमती रितु यादव, सहायक ग्रेड-2, न्यायिक जिला स्थापना रतलाम का स्वयं के व्यय पर, रिक्त पद पर अंतर जिला स्थानांतरण उसी हैसियत से, न्यायिक जिला स्थापना भोपाल पर किया जाता है। उनकी वरिष्ठता नवीन जिले में उनके प्रवर्ग की पदक्रम सूची में अंतिम क्रम पर रखी जावेगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार



(बी०पी०शर्मा)
रजिस्ट्रार (डी०ई०)
आयसी०५१६

पृष्ठांकन क्रमांक बी/1118 /
तीन-18-180/75 (रतलाम)

जबलपुर, दि० 13 फरवरी, 2019

प्रतिलिपि:-

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश रतलाम/भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया स्थानांतरित कर्मचारी को स्थापना से इस प्रकार भारमुक्त करें जिससे कि संबंधित कर्मचारी नवीन पदस्थापना के स्थान पर दि० 02-03-2019 (दो मार्च दो हजार उन्नीस) तक कार्यभार ग्रहण कर सकें। निर्धारित तिथि तक भारमुक्त/कार्यग्रहण किये जाने पर रजिस्ट्री को सूचना भिजवाया जाना आवश्यक नहीं है।
2. श्रीमती रितु यादव, सहायक ग्रेड-2, न्यायिक जिला स्थापना रतलाम, म०प्र० की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपनी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपे कि पदस्थापना के नये स्थान पर दि० 02-03-2019 (दो मार्च दो हजार उन्नीस) तक कार्यभार ग्रहण कर सकें।
3. रजिस्ट्रार (जिला स्थापना) के निज सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।


(बी०पी०शर्मा)
रजिस्ट्रार (डी०ई०)
आयसी०५१६